

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 18-5-18

फैसल दि० 18-5-18

श्री कुरीचवट/शंकर
.....
(वादी) लीकडी

अनवान
बनाम

कुरीचवट भूमिधारी
.....
(प्रतिवादी) तहसीलदार सागवाडा

वादी श्री कुरीचवट/शंकर ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा लीकडी के खाता नम्बर 161 जमाबन्दी सं० 2072-75

में अंकित स्वयं/पिता का नाम कुरीचवट/शंकर
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है

। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम कुरीचवट

पिता शंकर है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम कुरीचवट
शंकर दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है। कुरीचवट

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम कुरीचवट/शंकर


होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया

जाता है कि मोजा लीकडी की जमाबन्दी संवत् 2072-75 के
खाता संख्या 161 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम

..... में संशोधन कर सही नाम कुरीचवट
कुरीचवट दर्ज रेकार्ड किया जावे।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा